अति आवश्यक / समयबद्ध

पत्रांकःव0क0अधि0 / बजट / आय–व्ययक / 2020–2021 / 833 / 2021,

प्रेषक,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

दिनांक :लखनऊःमार्च 03, 2021

विषयः– वित्तीय वर्ष–2020–21 के आय–व्ययक में आवंटन / व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2020–2021 में शासन द्वारा विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत बजट / अनुदान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष का व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र शासन / वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निम्न रूपेण निर्देशित किया गया है।:–

1. वित्तीय वर्ष–2020–2021 के विभागीय लेखाशीर्षक–2040 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में मुख्यालय स्तर से कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष ब्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र संलग्नक विहित प्रारूप में निर्धारित तिथि से पूर्व समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध कराया जाये।
2. व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक् वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–3–1497 / दस–2010 –100(4) / ब0मै0–टी0सी0– ।। दिनांक 21.06.2010 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं बचत का विवरण पत्र भी संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जाये।
3. वित्तीय वर्ष–2020–2021 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं बचत के ऑकड़ें वरिष्ठ सहायक, लेखा / बजट एवं तत्पश्चात् प्रधान सहायक एवं आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर भली–भॉति परीक्षणोपरांत मुख्यालय प्रेषित किया जाये। ताकि अन्तिम व्यय एवं बचत के ऑकड़ों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की सम्भावना न रहे। यदि किसी भी मानक मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत उपलब्ध हो तो इसकी सूचना समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध करा दी जाये।
4. प्रायः देखा गया है कि व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया जाता है। उसके उपरांत कतिपय आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों द्वारा पुनः संशोधित विवरण पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जाते हैं, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। ब्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जाने से पूर्व वरिष्ठ सहायक, लेखा / बजट / प्रधान सहायक एवं आहरण वितरण अधिकारी भली–भॉति परीक्षण कर ब्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण पत्र मुख्यालय प्रेषित किया जाये।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषय महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार समय बद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रारूपों में विभागीय मेल **chairman-commtax-tribunal@up.nic.in** पर **विलम्बतम दिनांक 22.03.2021 तक प्रत्येक दशा में** मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि शासन से प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं बचत के ऑकड़ें समयान्तर्गत शासन / वित्त विभाग के समक्ष प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

03.03.21

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि वरिष्ठ सहायक, लेखा मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वांछित विवरण पत्र दिनांक 22.03.2021 **तक प्रस्तुत करें।**

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विहित प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2020–2021 में आवंटन/व्यय एवं बचत का अन्तिम विवरण–पत्र।

कार्यालय का नामः–...

अनुदान संख्या–89 लेखाशीर्षक–2040–बिकी,व्यापार आदि पर कर, 800–अन्य व्यय ,04–वाणिज्यकर अधिकरण का अधिष्ठान

क. सं.	मानक मद एवं कोड संख्या	वित्तीय वर्ष–2020–21 में कुल आवंटित राशि	वास्तविक व्यय दिनांक 01.04.20 से 28.02.21तक	वास्तविक व्यय माह मार्च–2021	वर्ष 2020–21 के कुल व्यय का सम्पूर्ण योग (4+5)	अधिक व्यय की गई धनराशि	बचत	अधिक व्यय का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	01– वेतन							
2	03–मंहगाई भत्ता							
3	04–यात्रा व्यय							
4	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय							
5	06–अन्य भत्ते							
6	07–मानदेय							
7	08–कार्यालय व्यय							
8	09–विद्युत देय							
9	10–जलकर/जलप्रभार							
10	11–लेखनसामग्री/फार्म छपाई							
11	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण							
12	13–टेलीफोन पर व्यय							
13	15–गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल व्यय							
14	16–व्यावसायिक/विशेष सेवाओं हेतु भुगतान							
15	17–किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व							
16	38–अन्तरिम सहायता							
17	42–अन्य व्यय							
18	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा/अन्य प्रा0 व्यय							
19	45–अवकाश यात्रा व्यय							
20	46–कम्प्यू0 हार्ड0/साफ्ट0का कय							
21	47–कम्प्यू0अनु0/स्टेशनरी का कय							
22	49–चिकित्सा व्यय							
23	51–वर्दी व्यय							
24	55–मकान किराया भत्ता							
25	56–नगर प्रतिकर भत्ता							
26	58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान							
	सम्पूर्ण योग———							

समस्त विवरण की जॉच किया और सही पाया।

वरिष्ठ सहायक(लेखा/बजट)/प्रधान सहायक के हस्ताक्षर

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम–...

<u>वित्तीय वर्ष 2020–2021</u>

व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक् वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–3–1497/दस–2010–100(4)–ब.मे.–टी.सी.–।। दिनांक 21 जून–2010 मे दी गयी व्यवस्था के अर्न्तगत ग्रुपवार आवंटन/व्यय एवं बचत का विवरण पत्र।

ग्रुप	मानक मद	कुल आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	बचत	औचित्य
ग्रुप–1	01–वेतन 03–महंगाई भत्ता 06–अन्य भत्ते					
	कुल योग					

ग्रुप–2	04–यात्रा व्यय 05–स्था0 यात्रा व्यय 45–अव0 यात्रा व्यय					
	कुल योग					

ग्रुप–3	08–कार्यालय व्यय 11–लेखनसामग्री फार्मो की छपाई 42–अन्य व्यय 51–वर्दी व्यय					
	कुल योग					

ग्रुप–4	09–विद्युत देय 10–जलकर/जल प्रभार 17–किराया उपशुंल्क कर स्वामित्व					
	कुल योग					

विवरण पत्र चैक किया तथा सही पाया।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वरिष्ठ सहायक लेखा/बजट/मुंसरिम के हक्ताक्षर